उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

गुरुवार, 10 श्रावण, शक संवत् 1946

(01 अगस्त, 2024)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न। (देखिये नत्थी 'क')

2-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों को सदन की मेज पर रखेंगे :-

(1) उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) विधेयक, 2024

(2) उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024

(4) उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक, 2024

(5) बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

(6) कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

अनन्तिम रूप से

(7) उत्तर प्रदेश विनियोग (2024-2025 का अनुपूरक) विधेयक, 2024
(श्री अध्यक्ष ने प्रमाणित किया है कि यह एक धन विधेयक है।)

3-मुख्य मंत्री, गृह (पुलिस) अनुभाग-4 के न्यायमूर्ति राजीव लोचन मेहरोत्रा, माननीय न्यायमूर्ति से0नि0, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित द्विसदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग-2023 की रिपोर्ट को 'द कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952' (अधिनियम संख्या-60) की धारा-3 की उपधारा (4) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

4-मुख्य मंत्री, गृह (पुलिस) अनुभाग-7 के उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

5-मुख्य मंत्री, गृह (पुलिस) अनुभाग-11 के न्यायमूर्ति बाबा साहब भोंसले, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग-2023 की रिपोर्ट को जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-60, सन् 1952) की धारा-3 की उपधारा (4) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

6-मुख्य मंत्री, सतर्कता अनुभाग-4 का लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में माननीय लोक आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

7-मुख्य मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकारण की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 को भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-77 की उपधारा-4 एवं धारा-78 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

8-संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य अनुभाग-2 की उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2024 (दिनांक 02-02-2024 से दिनांक 10-02-2024 तक) में नियम-115 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1956 के नियम-115 (4) के प्राविधानों के अनुसार दिनांक 01-08-2024 को सदन की मेज पर रखेंगे।

9-सहकारिता मंत्री, सहकारिता अनुभाग-1 के उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के वार्षिक लेखों (स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि खाता वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21) को दि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा-31 की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

10-वित्त मंत्री, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) से पूर्व एवं पश्चात् विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-1 को सदन की मेज पर रखेंगे।

11-वित्त मंत्री, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-2 को सदन की मेज पर रखेंगे।

12-वित्त मंत्री, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्व क्षेत्र पर अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-3 को सदन की मेज पर रखेंगे।

13-वित्त मंत्री, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन संख्या-4 वर्ष 2024 को सदन की मेज पर रखेंगे।

14-वित्त मंत्री, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या-5 वर्ष 2024 को सदन की मेज पर रखेंगे।

15-चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि-

> ''यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय सभापति महोदय आदेश दें, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की इंस्टीट्यूट बॉडी में सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के अधिनियम, 1983 की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान परिषद् के 01 माननीय सदस्य का निर्वाचन करें।''

16-मुख्य मंत्री, बांके बिहारी मंदिर, वृन्दावन, मथुरा में दर्शन हेतु क्यू सिस्टम/रेलिंग लगाकर आम जनता एवं विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों हेतु दर्शन की समुचित व्यवस्था कराये

जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक अग्रवाल व डा0 सुधीर गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

17-पर्यटन मंत्री, जनपद-श्रावस्ती के विभूतीनाथ मन्दिर (सिरसिया) में आने वाले श्रद्धालुओं हेतु उपयुक्त समुचित सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 प्रज्ञा त्रिपाठी व श्रीमती वन्दना वर्मा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

18-उप मुख्य मंत्री, लखनऊ जिले के गोमतीनगर के डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के जर्नल सर्जरी विभाग के पी0जी0 छात्रों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में डा0 मान सिंह यादव व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 03 फरवरी, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

19-पशुधन मंत्री, प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित गौवंशों को अनुदान भी 50 रुपये के हिसाब से प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री रजनीकान्त महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 03 फरवरी, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

20-पशुधन मंत्री, प्रदेश की संचालित गौशालाओं में गौवंश को प्रभु श्री कृष्ण की मुरली की धुन एवं श्रीराम के भजन प्रतिदिन मानक के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा श्रवण करने की व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री रजनीकान्त महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

21-उप मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, होम्योपैथिक विभाग एवं आयुष विभाग में कार्यरत फार्मासिस्टों का पदनाम परिवर्तित कर फार्मेसी अधिकारी करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 हरी सिंह ढिल्लो व डा0 जयपाल सिंह 'व्यस्त', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

22-उप मुख्य मंत्री, प्रदेश भर में लगे आक्सीजन प्लांट के रख-रखाव और उपयोग सुनिश्चित किये जाने तथा आजमगढ़ के सभी अस्पतालों में बेड पर आक्सीजन की व्यवस्था

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

23-उप मुख्य मंत्री, भ्रष्ट वरिष्ठ सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रयागराज को दिये गये कार्यों से अविलम्ब हटाते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में डा0 जयपाल सिंह 'व्यस्त', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 03 फरवरी, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

24-आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश के सभी आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्त आयु एलोपैथिक चिकित्सकों की भांति 65 वर्ष कराने के सम्बन्ध में श्री भीमराव अम्बेडकर, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

25-उप मुख्य मंत्री, जनपद-लखनऊ के तमाम प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का शोषण/उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री हंसराज विश्वकर्मा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

26-श्री अशोक अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत श्याम नगर कालोनी, रायबरेली मोड़, उतरेठिया, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से जल निकासी एवं सीवर लाइन को मुख्य लाइन से जुड़वाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

27-श्री अशोक अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत तिवारी नगर, सरोसा-भरोसा, मोहान रोड, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

28-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-बलीगेरावा, विकास खण्ड-हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी के निवासियों की ओर से गेरावा रजबहा की पटरी पर सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

29-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-गेरावा, विकास खण्ड-हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

30-उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

31-उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

32-उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

33-उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

34-उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

35-उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

36-मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

37-मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

38-मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

39-मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

40-मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

41-मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

42-मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

43-मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

44-उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

45-उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

46-औद्योगिक विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

47-औद्योगिक विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

48-श्रम एवं सेवायोजन मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

49-श्रम एवं सेवायोजन मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

50-श्रम मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

51-श्रम मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

52-वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा।

अनन्तिम रूप से

53-वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2024-2025 का अनुपूरक) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

अनन्तिम रूप से

54-वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2024-2025 का अनुपूरक) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

लखनऊ :
गुरुवार, 10 श्रावण, शक संवत् 1946
(01 अगस्त, 2024)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

01 अगस्त, 2024 — **विधान परिषद् के द्वितीय सत्र (2024) का प्रथम गुरुवार**

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	29-4-2024
*2	29-4-2024
*3	29-4-2024
*4	29-4-2024
*5	29-4-2024
*6	6-5-2024
*7	21-7-2024
*8	21-7-2024
*9	21-7-2024
*10	21-7-2024

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	29-4-2024
2	29-4-2024
3	29-4-2024
4	29-4-2024
5	6-5-2024
6	6-5-2024
7	6-5-2024
8	6-5-2024
9	6-5-2024
10	6-5-2024
11	6-5-2024
12	6-5-2024
13	6-5-2024
14	6-5-2024
15	6-5-2024
16	6-5-2024
17	6-5-2024
18	6-5-2024
19	6-5-2024
20	6-5-2024
21	9-5-2024
22	9-5-2024
23	9-5-2024
24	12-6-2024
25	12-6-2024
26	12-6-2024
27	12-6-2024
28	12-6-2024
29	12-6-2024
30	24-6-2024
31	24-6-2024
32	23-6-2024
33	16-7-2024

नत्थी 'क'

गुरुवार, दिनांक 01 अगस्त, सन् 2024 ई0

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों में पी0 जी0 करने वाले छात्रों द्वारा सीट रिक्त करने की बाध्यता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 1 — उप मुख्य मंत्री

*1-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि प्रदेश के कितने चिकित्सा विश्वविद्यालयों में पी0जी0 करने वाले कितने छात्र दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 07 मार्च, 2024 तक किस कारण से अपनी सीट रिक्त कर दिये हैं ?

(ख) क्या उक्त सीट रिक्त करने वाले छात्रों के प्रति उदारतापूर्वक विचार करते हुए उनके द्वारा विपरीत परिस्थितियों में सीट रिक्त करने की बाध्यता की समुचित जाँच कराते हुए उसका उपचार कराने की कार्यवाही करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-वाराणसी / मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 2 — उप मुख्य मंत्री

*2-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि वाराणसी/मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत कितने ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनमें अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा है और कितने ऐसे हैं जिनमें नहीं है ?

(ख) क्या वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त मण्डलों के किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा मुहैया कराई गई है ?

(ग) उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-हरदोई के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र सण्डीला में नकली/सिंथेटिक दूध बनाने वाली फैक्ट्री की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री अशोक अग्रवाल 3 — मुख्य मंत्री

*3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र सण्डीला में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की सांठ-गांठ के चलते दिसम्बर, 2023 को 17 हजार लीटर नकली/सिंथेटिक दूध की फैक्ट्री पकड़ी गयी थी ?

(ख) क्या रिफाइण्ड व यूरिया से निर्मित हो रहे दूध का सालों से विभाग की अनदेखी/मिली-भगत से कारोबार संचालित किया जा रहा था ?

(ग) क्या जून, 2018 में भी सण्डीला में 4 हजार लीटर नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफॉश एवं कई कुन्तल नकली मावा की फैक्ट्री पकड़ी गयी थी ?

(घ) यदि हां, तो क्या विभागीय उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उक्त नकली दूध/मावा बनाने वाली फैक्ट्री कबसे संचालित थी तथा विभाग द्वारा इनके विरुद्ध सैम्पल कब-कब भरे गये ? यदि नहीं, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है ?

(ङ) क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर जनपद स्तर पर उत्तरदायी अधिकारियों को स्थानान्तरित कर जाँच करायेगी जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जनता को शुद्ध चीज उपलब्ध हो सके ?

(च) यदि हां, तो कब तक ?

वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 में जनपद-सिद्धार्थनगर में असुरक्षित पाये गये नमूनों से सम्बन्धित खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेन्स निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 4 | मुख्य मंत्री

*4-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में जनपद-सिद्धार्थनगर में अब तक कुल कितने खाद्य पदार्थ के नमूने जांच हेतु लिए गये तथा जाँच हेतु लिये गये नमूनों में से कितने नमूने असुरक्षित (स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्वों का पाया जाना) पाये गये तथा असुरक्षित पाये गये नमूनों से सम्बन्धित कितने खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेन्स निलम्बित अथवा निरस्त किये गये और उनमें से कितने खाद्य प्रतिष्ठानों को बन्द कराया गया ?

(ख) क्या कुछ खाद्य प्रतिष्ठानों के नमूने असुरक्षित पाये जाने के बाद भी उनके लाइसेन्स निलम्बित अथवा निरस्त न करते हुए उन्हें बन्द नहीं कराया गया ?

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे स्वेच्छाचारी एवं उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जाँच के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 5 | उप मुख्य मंत्री

*5-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि जनपद-गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में तैनात प्रधानाचार्य द्वारा अनियमिततायें की गयी हैं ?

(ख) क्या उसकी जाँच किसी स्वतंत्र व निष्पक्ष एजेंसी द्वारा करायी जायेगी ?

(ग) प्रधानाचार्य द्वारा जीवन रक्षक उपकरणों में भी भ्रष्टाचार कर मरीजों के उपचार में अनियमितता बरती जा रही है, जिससे उनके जीवन को भी खतरा बना रहता है ?

(घ) वित्तीय वर्ष 2017 से लेकर अब तक शासन द्वारा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के विभिन्न मदों में भेजी गयी राशि किन मदों में खर्च की गयी ?

(ङ) गोरखपुर मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य को सेवा में अनियमितता को देखते हुये इन्हें कई बार विभाग द्वारा निलम्बित भी किया गया है ?

(च) क्या उपकरणों की खरीद में मानक और बाजार मूल्य से अधिक का भुगतान किया गया है ? क्या उपरोक्त

मदों में किये गये व्यय की किसी सक्षम एजेंसी से जाँच करायेंगे ?

(छ) क्या इनकी जाँच कराकर इनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

आगरा जनपद में फतेहाबाद रोड पर स्थित जे0पी0 पैलेस होटल की जमीन आवंटन निरस्त कर सरकार द्वारा पुनः अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में

डा0 आकाश अग्रवाल 6 — पर्यटन मंत्री

*6-(क) क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि आगरा जनपद में फतेहाबाद रोड पर स्थित जे0पी0 पैलेस होटल (फाइव स्टार होटल) संचालित है, इस होटल को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रियायती दर पर कुछ शर्तों के अधीन भूमि आवंटित की गई थी ?

(ख) होटल को जिन शर्तों के साथ भूमि दी गई थी उसका अनुबन्ध-पत्र/सेल डीड/लीज डीड क्या है ?

(ग) क्या होटल की स्थापना से आज तक होटल के द्वारा इन शर्तों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है ?

(घ) क्या जिन शर्तों के तहत भूमि होटल को आवंटित की गई थी उन शर्तों में इस होटल के द्वारा अब तक किन शर्तों को पूर्ण किया गया है ?

(ङ) वर्तमान में नियमों के अन्तर्गत यदि यह होटल किसी को कन्वेंशन सेन्टर के रूप में प्रयोग करने देते हैं, तो हजारों रुपये थाली का चार्ज लगाकर लाखों रुपये का बिल गरीब जनता से लेना चाहते हैं जिस कारण गरीब जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है ?

(च) यदि होटल के द्वारा जो अनियमितता की जा रही है, तो इस अनियमितता के कारण इसकी जमीन आवंटन निरस्त कर क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसका पुनः अधिग्रहण करेगी ?

एस0 जी0 पी0 जी0 आई0, लखनऊ में संविदा कर्मियों को नियमित कराये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 7 — उप मुख्य मंत्री

*7-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में कितने संविदा कर्मी किन-किन पदों पर कबसे कार्यरत हैं ?

(ख) क्या जो संविदा कर्मी लगभग 14/15 वर्ष से अधिक समय से सेवारत् हैं उन्हें नियमित करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य पदार्थों में मिलावट तथा नकली दवाओं के नमूनों की जांच हेतु विभागीय शिथिलताओं के कारण दोषियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 8 — मुख्य मंत्री

*8-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जांच के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं नकली दवाओं पर रोक लगाने हेतु की गयी छापेमारी में नमूनों की जांच हेतु विभागीय शिथिलताओं के कारण दोषी व्यक्तियों को दण्ड मिलने में देरी हो रही है ?

(ख) यदि हाँ, तो नमूनों की जांच में शिथिलता करने वाले अधिकारियों को एक निर्धारित समय में जांच की रिपोर्ट देने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करायेंगे ?

(ग) क्या जनपद स्तर पर कोई विशेष न्यायालय स्थापित कर दोषियों को दण्डित कराने की व्यवस्था करायेंगे ?

वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में वाराणसी, मिर्जापुर मण्डल के अन्तर्गत पर्यटन विभाग में विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 9 — पर्यटन मंत्री

*9-(क) क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में वाराणसी, मिर्जापुर मण्डल के अन्तर्गत पर्यटन विभाग में अन्तर्गत कौन से विकास कार्य किये गये हैं और वित्तीय वर्ष 2024-25 में कौन से विकास कार्य करायेंगे ?

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 10

*10-[अन्तरित]

अतारांकित प्रश्न

श्री आशुतोष सिन्हा 1 — पर्यटन मंत्री

1-(क) क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-रायबरेली, तहसील-ऊँचाहार, विकास खण्ड-जगतपुर, ग्राम पंचायत टिकठा मुसल्लेपुर स्थित प्राचीन विष्णु भगवान मंदिर के सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार से सम्बन्धित श्रम एवं सेवायोजन मंत्री कार्यालय पत्रांक संख्या-2997/वी0आई0पी0/श्रम एवं सेवा0 सम0/2020, दिनांक 24 अगस्त, 2020 का पत्र अपर मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) क्या उक्त मन्दिर के सौन्दर्यीकरण, बाउण्ड्रीवाल, परिक्रमा मार्ग, पानी की टंकी, सोलर लाइट, धर्मशाला, सड़क आदि हेतु धन आंवटित करा दिया गया है ?

(घ) यदि हाँ, तो कब ?

डा0 मान सिंह यादव 2	2-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि जनपद कौशाम्बी के जिला चिकित्सालय में कितने पद चिकित्सकों के स्वीकृत हैं और उनमें से कितने रिक्त हैं ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 3	3-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि प्रयागराज व झांसी मण्डल के जिला चिकित्सालयों में दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 21 मार्च, 2024 तक शासन के किन-किन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है और उक्त निरीक्षण के दौरान क्या-क्या खामियां प्राप्त हुई हैं और उक्त खामियों के उपरान्त किन-किन अधिकारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 4	4-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई सुविधाएं बढ़ोत्तरी किये जाने की कार्य योजना है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 5	5-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में महमूदाबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे मशीन काफी समय से लगने के बाद भी संचालित नहीं है, जिससे मरीजों को असुविधा होती है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त एक्स-रे मशीन चालू कराने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करेंगे ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 6	6-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड-निन्दुरा की ग्राम पंचायत घुघंटेर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 50 वर्षों से संचालित था बन्द करा दिया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 5 कि0मी0 की दूरी पर स्थानान्तरित किया गया है, उसके अतिरिक्त क्षेत्रीय जनमानस की गम्भीर स्वास्थ्य समस्याओं के	उप मुख्य मंत्री

दृष्टिगत उक्त जर्जर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की पुनर्स्थापना करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 7	7-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के ब्लाक पहला मुख्यालय पर स्थित सरकारी हॉस्पिटल में डाक्टरों की तैनाती न होने से मरीजों को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या बनी रहती है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु निर्धारित पदों के सापेक्ष डॉक्टरों की तैनाती करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 8	8-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत चिकित्सालयों में दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 01 जनवरी, 2024 तक कितनी नई मशीनें/सुविधाएं मरीजों हेतु स्थापित की गयी हैं ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 9	9-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 01 जनवरी, 2024 तक नकली दवाओं की रोकथाम हेतु जनपद के संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 10	10-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 01 जनवरी, 2024 तक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों हेतु कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है और उनको किन-किन अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया है ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 11	11-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि वाराणसी मण्डल में दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 01 जनवरी, 2024 तक ब्लाक स्तरों में स्वास्थ्य	उप मुख्य मंत्री

सम्बन्धी कार्यों हेतु कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है और उनको किन-किन अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया है ?

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष सिन्हा 12 — 12-[अन्तरित]

डा0 मान सिंह यादव 13 — 13-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चायल, जनपद-कौशाम्बी में कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने चिकित्सकों की तैनाती है ? — उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 14 — 14-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चायल, जनपद-कौशाम्बी में दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 04 अप्रैल, 2024 तक कितने मरीजों का उपचार किया गया है और कितने मरीजों को अल्ट्रासाउण्ड मशीन न होने के कारण जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है ? — उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 15 — 15-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि प्रयागराज व झाँसी मण्डल के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 04 अप्रैल, 2024 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया है और उक्त निरीक्षण के दौरान क्या-क्या खामियाँ प्राप्त हुईं ? — उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष सिन्हा 16 — 16-(क) क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 08 अप्रैल, 2024 तक वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डल में पर्यटन विभाग द्वारा क्या-क्या विकास कार्य कराये गये हैं ? — पर्यटन मंत्री

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 17	17-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ में नकली दवाओं के क्रय-विक्रय के कितने मामले दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 15 मार्च, 2024 तक प्रकाश मे आये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 18	18-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में महमूदाबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक न होने से क्षेत्रीय लोगों को असुविधा होती है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु स्वास्थ्य केन्द्र पर हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 19	19-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]	
श्री आशुतोष सिन्हा 20	20-(क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डलों के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 10 अप्रैल, 2024 तक विभाग के अन्तर्गत महिलाओं को लाभ पहुँचाने के लिये क्या-क्या कार्य किये गये हैं और कितने लाभार्थी उक्त कार्य से लाभान्वित हुए हैं ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	महिला कल्याण मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 21	21-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि ग्राम बंडाखेड़ा काकोरी लखनऊ के निवासियों के इलाज के दौरान जाँच में बरती गई लापरवाही के सम्बन्ध में कार्यवाही कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2024 जोकि विशेष सचिव मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और क्या जाँच के दौरान लापरवाही सिद्ध हुई है ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 22	22-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के जिला अस्पताल में हार्ट तथा न्यूरो सर्जन के स्पेशिलिस्ट डाक्टरों की तैनाती नहीं है ?	उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो हार्ट तथा न्यूरोलाजी के स्पेशिलिस्ट डाक्टरों की तैनाती कराते हुये कार्डियोलाजी तथा न्यूरोलाजी वार्ड की स्थापना करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 23	23-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद हरदोई, तहसील-मलावाँ के ग्राम पंचायत-बखोरा में सी0एच0सी0 तथा पी0एच0सी0 न होने के कारण उक्त ग्रामवासियों को लगभग 10 किलोमीटर सफर कर उपचार के लिए मलावाँ जाना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त ग्राम में एक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 का निर्माण करायेंगे, जिससे क्षेत्र के ग्रामवासियों को उपचार के लिए 10 किलोमीटर का सफर न करना पड़े ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 24	24-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा संस्थान हैं ? (ख) उक्त संस्थानों में महिला रोगियों की चिकित्सा हेतु कितने स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात हैं ? (ग) क्या उक्त संस्थानों में आने वाली महिला रोगियों को भली-भांति उपचार मिल पा रहा है ? (घ) क्या इनकी देख-रेख के लिये किस स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है और कब-कब ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 25	25-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान के गायनों विभाग में महिला रोगियों को उपचार में होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में संस्थान द्वारा क्या-क्या व्यवस्था की जा रही है ? (ख) दूर-दराज से आने वाली महिला रोगियों को अपने स्वास्थ्य परीक्षण के सम्बन्ध में उक्त विभाग द्वारा की जा रही लापरवाही के प्रति किस अधिकारी को निरीक्षण तथा अनुश्रवण के लिये तैनात किया गया है ? (ग) महिला रोगियों को स्वयं को चिकित्सक को दिखाने में होने वाली परेशानियों के सम्बन्ध में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनका किस प्रकार निस्तारण किया जाता है ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री

डा0 मान सिंह यादव 26	26-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान के गायनों विभाग में दिनांक 05 मार्च, 2023 से दिनांक 06 मई, 2024 तक कितने महिला रोगियों का उपचार किया गया है ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 27	27-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान के गायनों विभाग में महिला रोगियों की कौन-कौन सी जांच संस्थान के बाहर से करायी जा रही है ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 28	28-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान के गायनों विभाग में महिला रोगियों की देख-रेख करने वाले चिकित्सकों को महिलाओं से सम्मानजनक व्यवहार करने हेतु भी संस्थान द्वारा कोई कार्यालय ज्ञाप जारी किया जाता है ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 29	29-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में दिनांक 01 फरवरी, 2024 से दिनांक 20 मई, 2024 तक कितने चिकित्सकों ने विभागीय प्रताड़ना के कारण अपना त्याग-पत्र दिया है ? (ख) संबंधित चिकित्सकों ने जिन कारणों से अपना त्याग-पत्र दिया है वो कौन-कौन से कारण हैं और उन कारणों के सम्बन्ध में विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? (ग) क्या जिन कारणों से संबंधित चिकित्सकों ने त्याग-पत्र दिया है उन कारणों के आधार पर उनका त्याग-पत्र स्वीकार किया जाना समीचीन होगा ? (घ) यदि संबंधित चिकित्सकों का गलत तरीके से त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है तो उन्हें पुन: सेवा में लेते हुए सदन को अवगत करायेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 30	30-(क) क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि आई0जी0 आर0एस0 संख्या-40015624023222 द्वारा जिला उन्नाव, ब्लाक-बीघापुर के ग्राम-इन्देमऊ के शिव मंदिर में भक्तों की	पर्यटन मंत्री

सुविधा हेतु यात्री छावक बनाये जाने हेतु उप निदेशक, पर्यटन, लखनऊ को शीर्ष प्राथमिकता पर कार्यवाही कराने के आदेश हुए थे ?

(ख) यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) क्या सरकार शीघ्र यात्री छावक बनाये जाने के आदेश देगी ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 31	31-(क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद उन्नाव, तहसील-पुरवा, ब्लाक-हिलौली, में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संख्या-313110904222, 313110761692 में विधवा पेंशन हेतु आवेदन किये गये हैं ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त आवेदनों की पेंशन धनराशि लाभार्थियों के खाते में भेज दी गयी है ? (ग) यदि हाँ, तो कब ? (घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	महिला कल्याण मंत्री
श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 32	32-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में वर्तमान में कितने संविदा कर्मचारी किस-किस संवर्ग में कार्यरत हैं ? (ख) क्या स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए संविदा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेंगे ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 33	33-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर बांसी में 50 बेड का नवीन अस्पताल मरीजों हेतु कब क्रियाशील हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त अस्पताल में कितने डॉक्टरों/कार्मिकों की नियुक्ति की गई है ? (ग) यदि नहीं, तो कब तक उक्त अस्पताल में डॉक्टरों/कार्मिकों की नियुक्ति करते हुये क्रियाशील करायेंगे ? (घ) क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	उप मुख्य मंत्री

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

मानननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद लखनऊ रोड उतरेठिया, श्याम नगर कालोनी में जल निकासी व सीवर लाइन को मुख्य लाइन से जुड़वाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण निवासी श्याम नगर कालोनी स्थित रायबरेली रोड, उतरेठिया लखनऊ के निवासी हैं। हमारे कालोनी में लगभग 50 परिवार रहते हैं, परन्तु कालोनी में जल निकासी एवं सीवर लाइन की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण हम सब निवासियों को बरसात के दिनों में काफी असुविधा हो जाती है। सीवर लाइन न होने के कारण बरसात का गन्दा पानी घरों में आने लगता है। जिससे हम निवासियों का जीवन दूभर हो गया है। हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत् हैं। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि श्याम नगर कालोनी में जल निकासी व सीवर लाइन को मुख्य लाइन से जुड़वाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद लखनऊ के तिवारी नगर, सरोसा-भरोसा, मोहान रोड स्थित पवन यादव के घर से लेकर सिद्धार्थ मार्ट तक लगभग 300 मीटर डामरीकरण मार्ग एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद लखनऊ के तिवारी नगर, सरोसा-भरोसा, मोहान रोड के निवासी हैं। हमारे तिवारी नगर, सरोसा-भरोसा, मोहान रोड स्थित पवन यादव के घर से लेकर सिद्धार्थ मार्ट तक लगभग 300 मीटर मार्ग कच्चा है। उक्त मार्ग सम्पर्क मार्ग को जोड़ता है, इस मार्ग का डामरीकरण एवं नाली निर्माण कराना अत्यन्त आवश्यक है। हम सब निवासियों को बरसात के दिनों में सड़क मार्ग से निकलने में काफी असुविधा हो जाती है। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु पिछले कई वर्षों से स्थानीय अधिकारियों से प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि लखनऊ के तिवारी नगर, सरोसा-भरोसा, मोहान रोड स्थित पवन यादव के घर से लेकर सिद्धार्थ मार्ट तक लगभग 300 मीटर डामरीकरण मार्ग एवं नाली का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड-हैदरगढ़ के ग्राम पंचायत-बलीगेरावा में गेरावा रजबहा की पटरी पर सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-बलीगेरावा, विकास खण्ड-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-बलीगेरावा में गेरावा रजबहा की पटरी पर सड़क मार्ग

बहुत खराब है। उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है, किन्तु आज तक सड़क मार्ग का निर्माण नहीं हुआ। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत-बलीगेरावा में गेरावा रजबहा की पटरी पर सड़क बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद बाराबंकी, विकास खण्ड हैदरगढ़ के ग्राम पंचायत गेरावा में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थीगण जनपद बाराबंकी, तहसील व विकास खण्ड हैदरगढ़ के ग्राम पंचायत गेरावा के निवासी हैं। हमारे ग्राम सभा गेरावा में चौबीसी मार्ग से चौबे पुरवा तक रास्ता खराब एवं जर्जर अवस्था में है। उक्त मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत् हैं। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम सभा गेरावा में चौबीसी मार्ग से चौबे पुरवा तक सड़क निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।